



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)–चन्दौली।

पत्रांक 4315 / जल जीवन मिशन / 256 दिनांक 25.06.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद–चन्दौली।

विषय:– ग्राम सरेहुआ खुर्द (सकलडीहा) में जल जीवन मिशन परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न भूमि विवाद के सफल निस्तारण एवं कार्य पुनः प्रारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्राम सरेहुआ खुर्द में पेयजल परियोजना निर्माण के दौरान स्थानीय कृषकों द्वारा अपनी निजी भूमिधारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों के सम्बन्ध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे।

उक्त प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए दिनांक 25.06.2026 को उपजिलाधिकारी, सकलडीहा द्वारा निर्देशित क्षेत्रीय लेखपाल श्री वकार अहमद, ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव, इस खण्ड कार्यालय के अवर अभियन्ता श्री रवि कुमार शर्मा की संयुक्त उपस्थिति में शिकायतकर्ता श्री रामअवतार सिंह पुत्र स्व० श्री बैकुण्ठ सिंह की उपस्थिति में आराजी मौजा सरेहुआ खुर्द, परगना बढवल की भूमि का पुनः सीमांकन (पैमाइश) कराया गया। पैमाइश के दौरान यह पाया गया कि स्वीकृत आराजी संख्या-8 (नवैयत बंजर भूमि) पर जल कल परिसर का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके आंशिक दायरे में शिकायतकर्ता की निजी भूमि आ रही थी। मौके पर ही उभयपक्षों की उपस्थिति में आपसी सहमति से विवाद का पूर्ण निस्तारण कर दिया गया है। निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता की निजी भूमि को सीमांकन के पश्चात् पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए, उपलब्ध बंजर भूमि का भूखंड (नजरी नक्शा संलग्नक के अनुसार) पेयजल योजना के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को सुपुर्द कर दिया गया है।

अतः उक्त वास्तविक वस्तुस्थिति आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)–चन्दौली।

पत्रांक 4315 / जल जीवन मिशन / 256 दिनांक 25.06.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद–चन्दौली।

विषय:– ग्राम सरेहुआ खुर्द (सकलडीहा) में जल जीवन मिशन परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न भूमि विवाद के सफल निस्तारण एवं कार्य पुनः प्रारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्राम सरेहुआ खुर्द में पेयजल परियोजना निर्माण के दौरान स्थानीय कृषकों द्वारा अपनी निजी भूमिधारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों के सम्बन्ध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे।

उक्त प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए दिनांक 25.06.2026 को उपजिलाधिकारी, सकलडीहा द्वारा निर्देशित क्षेत्रीय लेखपाल श्री वकार अहमद, ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव, इस खण्ड कार्यालय के अवर अभियन्ता श्री रवि कुमार शर्मा की संयुक्त उपस्थिति में शिकायतकर्ता श्री रामअवतार सिंह पुत्र स्व० श्री बैकुण्ठ सिंह की उपस्थिति में आराजी मौजा सरेहुआ खुर्द, परगना बढवल की भूमि का पुनः सीमांकन (पैमाइश) कराया गया। पैमाइश के दौरान यह पाया गया कि स्वीकृत आराजी संख्या-8 (नवैयत बंजर भूमि) पर जल कल परिसर का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके आंशिक दायरे में शिकायतकर्ता की निजी भूमि आ रही थी। मौके पर ही उभयपक्षों की उपस्थिति में आपसी सहमति से विवाद का पूर्ण निस्तारण कर दिया गया है। निर्णय के अनुसार शिकायतकर्ता की निजी भूमि को सीमांकन के पश्चात् पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए, उपलब्ध बंजर भूमि का भूखंड (नजरी नक्शा संलग्नक के अनुसार) पेयजल योजना के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को सुपुर्द कर दिया गया है।

अतः उक्त वास्तविक वस्तुस्थिति आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता



आज दिनांक 25/06/2024 को प्राथी राम अवतार सिंह पुत्र स्व. श्री देवेंद्र सिंह नि.ग्र मनिहरा के द्वारा दिये गए बिकायती प्रार्थना पत्र जल जीवन मिशन के बखत बन रही पानी टंकी को लेकर दिया गया था जिसके संबंध में प्राथी व ग्राम प्रधान/प्रशासक व जल जीवन मिशन के वर्ग-चारीगण के उपस्थिति में आरज्जी मीजा सरहेडुआ खुर्द परगना बखल आगन 8 नवैयत बजर भूमि का सीमांकन किया गया, उभय पक्षों की मौजूदगी में विवाद का निस्तारण कर दिया गया। साक्ष्य स्वक्षम दस्तावेज बनवाया गया।

संलग्नक - बूखेंड का नजरी नक्शा (जल जीवन मिशन), कार्यकारी संस्था VSAIPPL SMC-JB को जमीन सुपुर्द कर दिया गया।

ग्राम प्रधान / प्रशासक

ग्रामपंचायत सरहेडुआ खुर्द
बि०ब०, सकलडीहा, जिला चम्पली

श्री जय पाद
25/06/24

क्षेत्रीय लेखपाल

25/06/2024
वक्कर अहमद
ले० न० २२२६ आ कला
तहसील-सकलडीहा
मो० न०-8887578735

श्री. (प्रिं)

JJM अधिकारी
(साइट इंजी - VSA)
(अवर अभि० - UPM)

शिकायतकर्ता

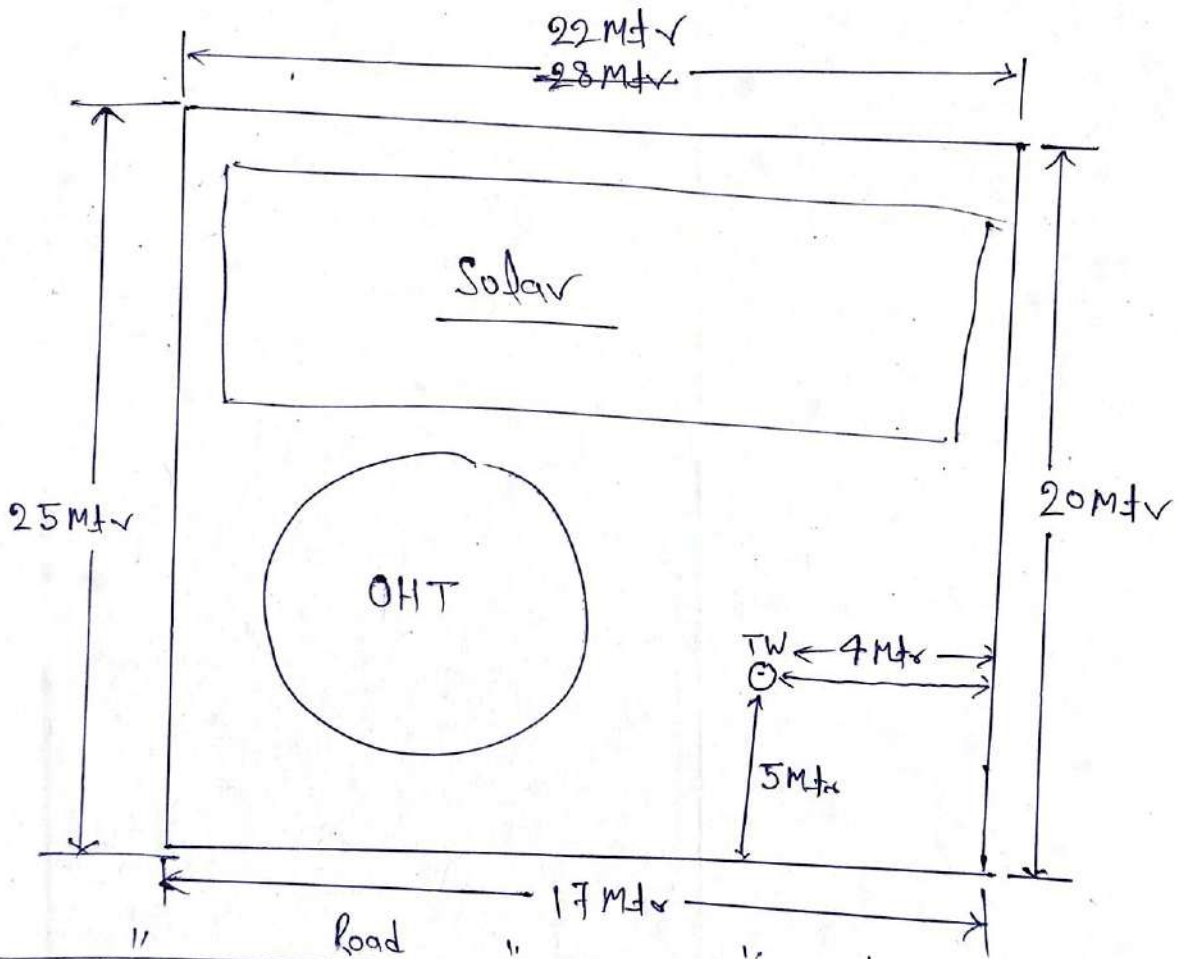
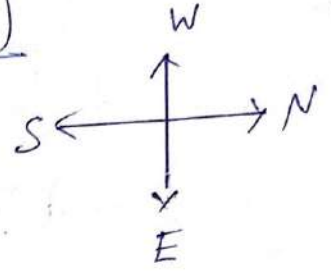
राम अवतार सिंह

गवाह -

- 1- रामाजी कुशवाहा गाम-लेहरा
- 2- राम लाल सिंह
- 3- राम करन सिंह

Date:- 25/06/2026

ग्राम - सरेहुवा खुद (चन्द्रोली)



Total = 84 Rmtr

प्रधान जी/प्रशासक

ग्राम पंचायत सरेहुवा खुद
वि०ख०, राकलहीडा, जिला चन्द्रोली

10/02/2026

लेखपाल

Ahmad
25/06/2026

लेखपाल
तहसील - सकलहीडा
मो० नं० - 8887578735

राम अवतार खड्ग

सीवायतकर्ता

Kashu

ज्जम अधिकारी